न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः नन्द किशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 07/2019

अपीलाण्ट

स्व भुराराम पुत्र पूराराम के वारिशान

1. महादेव प्रसाद पुत्र भूराराम
2. किशनदेव पुत्र भूराराम
3. मंगलदेव प्रसाद पुत्र भूराराम
4. त्रिलोकदेव प्रसाद पुत्र भूराराम
5. श्रीमती गैरीदेवी पत्नी भूराराम

जातिगण मीणा निवासीगण मीणों का बास, जालोर चौराहा, सुमेरपुर

बनाम रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर
2. स्व0 धर्माराम पुत्र पूराराम के
   का0मु0 वारिशान
   2/1 शंकरलाल पुत्र धर्माराम
   2/2 सोहनलाल पुत्र धर्माराम
   2/3 स्व0 प्रभूराम पुत्र धर्माराम के का0मु0 वारिशान
   2/3/1 श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी प्रभूराम
   2/3/2 टिकमाराम पुत्र प्रभूराम
   2/3/3 सुरेश पुत्र प्रभूराम
   नाबालिग जरिये कुदरती वली माता भंवरीदेवी पत्नी प्रभूराम

   जातिगण मीणा निवासीगण तखतगढ चौराहा, बाईपास रोड़, सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बरखिलाफ उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 को अपास्त कराने।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, अपीलाण्ट की ओर से
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री मदनदास वैष्णव, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के का0मु0 की ओर से

—:: निर्णय ::—

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक : 18/8/2022

———0———

अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं मातहत अदालत का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस समायत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय में म्याद बाहर प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट की ओर से उनके अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता भारतीय थल सेना में सेवारत थे। उनके द्वारा जैर अपील विवादित आराजी को आवंटन करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट भी अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में प्राप्त हुई। इस पर अपीलाण्ट के पिता के नाम भूमि आवंटन हेतु प्रक्रिया आरम्भ की गई। चूंकि अपीलाण्ट के पिता भारतीय थल सेना में सेवारत थे, जिन्हे दिनांक 30.04.1976 को नौकरी पर जाना पड़ा। उसी दिन ग्राम पंचायत पोमावा द्वारा ग्राम पुराड़ा व पोमावा की सिवायचक भूमियों के आवंटन हेतु आवंटन नियमन, सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। चूंकि अपीलाण्ट के पिता के नाम आवंटन की सारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी , किन्तु अपीलाण्ट के पिता मौके पर उपस्थित नहीं होने एवं अपीलाण्ट के पिता के भाई धर्माराम पुत्र पुराराम मौके पर उपस्थित होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन धर्माराम के नाम कर दिया गया। वक्त आवंटन दोनो भाई संयुक्त परिवार में निवास करते थे तथा संयुक्त रूप से पैसा लगाकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करते थे। इस कारण अपीलाण्ट के पिता को यह जानकारी में नहीं आया कि उक्त भूमि का आवंटन धर्माराम के नाम हो चुका हैं। भूमि का मूल्य भी अपीलाण्ट के पिता द्वारा अदा किया गया। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा। धर्माराम की मृत्यु के बाद उनके वारिशान की नियत में खोट आ जाने से उनके द्वारा अपीलाण्ट के पिता को जैर अपील विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकियां दी, जिस पर अपीलाण्ट के पिता में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। इस दौरान राजस्व लोक अदालत कैम्प–2016 शुरू हो गया, जिससे उक्त पत्रावली को दिनांक 26.05.2016 को कैम्प में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुनवाई हेतु नियत की गई। जिसकी सूचना वादी को नही दी गई। उसी दिनांक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एकतरफा कार्यवाही कर वादी फौत होना अंकित करते हुए वाद को एबेट योग्य मानते हुए वाद खारिज कर दिया, जबकि विधि में वादी के फौत होने पर उसके का0मु0 को बतौर वादी पक्षकार संयोजित किये जाने के प्रावधान उपलब्ध हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार भी वादी की मृत्यु होने पर उसके का0मु0 को पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु 90 दिवस की समयावधि निर्धारित हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों से परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा बहस का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उससे लगभग 4 वर्ष पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 एवं 2/2 की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया, जो खारिज़ योग्य था, क्योंकि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वादकारण उपलब्ध ही नहीं होता हैं। अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दायर करवाया गया था, उक्त अवधारणा को विभिन्न न्यायालयों द्वारा विधि विरूद्ध माना हैं। अपीलाण्ट की ओर से जो अपील प्रस्तुत की है, वह अपील भी मियाद बाहर होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज़ योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इसी भूमि को लेकर राजस्व वाद संख्या 42/2017 विचाराधीन है, जिसमें अपीलाण्ट की ओर से पक्षकार संयोजित करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हैं। ये समस्त तथ्य अपीलाण्ट की जानकारी में होने के बावजूद भी अपील प्रस्तुत की है, इस प्रकार अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज़ कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2011(2) पेज 721, आर.आर. टी. 2010(2) पेज 1207 एवं आर.आर.टी. 2012(1) पेज 189 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा मातहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया। अपीलाण्ट के पिता भूराराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2013 को वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी की आवंटन कार्यवाही स्वयं के पक्ष में होना एवं उसके पश्चात भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में होने एवं कालान्तर में उक्त भूमि सिवायचक होने तथा उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होने के कारण खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/3 की तलबी पूर्ण होने एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 2/3 की ओर से उसकी पत्नी द्वारा सम्मन तामील किये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 04.12.2014 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2/3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके पश्चात दिनांक 15.01.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 व 2/2 की ओर से न्यायालय के समक्ष यह सूचना प्रस्तुत की, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2/3 का देहान्त लगभग 4 वर्ष पूर्व हो चुका हैं। इस पर अपीलाण्ट की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 2/3 के का0मु0 को पक्षकार संयोजित करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र बहस के स्तर पर विचाराधीन था, इस दरम्यान राजस्व लोक अदालत का आयोजन होने से पत्रावली दिनांक 26.05.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प पोमावा में सुनवाई हेतु रखी गई तथा स्थानीय व्यक्तियों से मिली जानकारी कि "वादी भूराराम फौत हो चुका है" इस आधार पर वाद को एबेट मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये वाद खारिज़ किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह तथ्य भी प्रमाणित है कि उक्त आराजी के संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 42/2017 बउनवान स्व. धरमा के का. मु. शंकरलाल बनाम राजस्थान सरकार दायर कर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें में भी अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का पेश किया गया है।

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जैर अपील विवादित आराजी सिवायचक होकर खाता संख्या 1 में दर्ज हैं। जहां तक अपीलाण्ट का कथन है कि उक्त आराजी अपीलाण्ट के पिता के स्थान पर पिता के भाई के नाम पर विधि विरूद्ध रूप से आवंटन हुआ है तथा भूमि की राशि एवं लगान आदि अपीलाण्ट के पिता द्वारा अदा किया गया है, इन तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। यह तथ्य भी प्रमाणित है कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखने बाबत पक्षकारान् को जारी नोटिस की पर्याप्त तामीली का अभाव रहा हैं। इस तथ्य की ताईद इससे होती है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/3 के नाम जारी किसी प्रकार का नोटिस आदि पत्रावली के संलग्न नहीं हैं, किन्तु विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है, इस सिद्धान्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता प्रदान की हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही गई है इस प्रकरण में अन्तिम रूप से भी वाद का निर्णय वादी के विरूद्ध ही होना है, इस कारण यदि तकनीकि आधारों पर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित भी किया जाता है, ऐसी स्थिति में भी अन्तिम रूप से वादी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होगा, अपितु वाद बाहुल्यता ही बढेगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ की जाती है। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/8/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्द किशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली